संख्या-11/2025/2684/सैंतीस-2-2024/001-1(16)/2023

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनॉक-13 जनवरी, 2025

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास खण्ड स्तर पर आई. टी. इनैबल्ड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-336/प.-2/10(11)/आई.टी.इनैबल्ड/एलडीबी/2024-25, दिनांक-31.12.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-04-विकास खण्ड स्तर पर आई. टी. इनैबल्ड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना योजना के निम्नलिखित मानक मदों में कुल रू0-74.10 लाख (रूपये चौहत्तर लाख दस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
09-विद्युत देय	0.60
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	3.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	4.80
31-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	6.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	54.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.20
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4.00
योग-	**74.10**

(रूपये चौहत्तर लाख दस हजार मात्र)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद का होगा।

(4) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।

(5) विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(6) जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित किया जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद का होगा।

(8) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(9) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2403001020400 (विकास खण्ड स्तर पर आई.टी. इनैबल्ड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001020400 विकास खण्ड स्तर पर आई.टी. इनैबल्ड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	09 विद्युत देय	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
2	015	2403001020400 विकास खण्ड स्तर पर आई.टी. इनैबल्ड	11 लेखन सामग्री और फार्मों की	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	छपाई	
3	015	2403001020400 विकास खण्ड स्तर पर आई.टी. इनैबल्ड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
4	015	2403001020400 विकास खण्ड स्तर पर आई.टी. इनैबल्ड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	4,80,000 (रुपये चार लाख अस्सी हजार मात्र)
5	015	2403001020400 विकास खण्ड स्तर पर आई.टी. इनैबल्ड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
6	015	2403001020400 विकास खण्ड स्तर पर आई.टी. इनैबल्ड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	54,00,000 (रुपये चौवन लाख मात्र)
7	015	2403001020400 विकास खण्ड स्तर पर आई.टी. इनैबल्ड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,20,000 (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र)
8	015	2403001020400 विकास खण्ड स्तर पर आई.टी. इनैबल्ड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
	कुल			**74,10,000** **(रुपये चौहत्तर लाख दस हजार मात्र)**

महायोग	74,10,000 (रुपये चौहत्तर लाख दस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या–E-1-259-X-2024-25, दिनाँक-08.01.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-11/2025/2684(1)/सैंतीस-2-2024/001-1(16)/2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।